

गरीबी के कारण एवं निवारण के प्रयास एवं रोजगार

डॉ0 रवीन्द्र कुमार झा¹

¹*Usha Sadan, New Balbhadrapur, Laheria-Sarai, Darbhanga (Bihar)*

गरीबी का कारण-बिहार राज्य में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकार को संभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं-

(क) धन एवं आय वितरण में घोर विषमता-राज्य में 77 प्रतिशत जोत का आकार एक हेक्टर से भी कम है और ऐसे सीमान्त जोत के अन्तर्गत कुल कृषि योग्य भूमि का 30 प्रतिशत ही आता है। 11.3 प्रतिशत जोत का आकार 2 हेक्टर से भी कम है। राज्य में मात्र 3.8 प्रतिशत जोत का आकार 4 हेक्अर या उससे अधिक है। इन मध्यवर्ती (3.4 प्रतिशत) तथा वृहत (0.4 प्रतिशत) किसानों के पास जोत का आकार 0.374 हेक्टर है, वहीं वृहत किसानों की जोत का औसत आकार 16 हेक्टर से भी अधिक है। जीविकोपार्जन के साधन का असमान वितरण, अतिरिक्त वितरण, अतिरिक्त रोजगार के अवसरों की कमी एवं अधिसंरचना का आभाव, ग्रामीण गरीबी एवं बेरोजगारी को जन्म देते हैं। यही कारण है कि आज राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था असंतुलन का शिकार हो गई है और उग्रवादी आन्दोलन अपना सर उठा रहे हैं।

(ख) बेरोजगारी एवं रोजगार के अवसरों का अभाव-देश के कुल बेरोजगारों में 6.6 प्रतिशत बिहार से ही आते हैं। राज्य में बेरोजगारी व अर्द्ध बेरोजगारी का स्वरूप अत्यन्त भयंकर एवं विकराल है। 52.12 लाख श्रमिक अतिरिक्त कार्य के लिये सर्वदा उपलब्ध रहते हैं। देश के कुल अर्द्ध बेरोजगार (468.24 लाख) का 11.13 प्रतिशत बिहार में ही है। राज्य में 12 प्रतिशत आबादी भूमिहीन है। 11 प्रतिशत लोगों के पास रहने को घर भी नहीं है। कृषि में रोजगार का जो स्वरूप है वह अत्यन्त निराशाजनक प्रतीत होता है। ग्रामीण आबादी का 43.41 प्रतिशत भाग किसान है। 37.21 प्रतिशत कृषि श्रमिक 9.58 प्रतिशत सीमान्त कृषक हैं और 2.69 प्रतिशत उत्पादक इकाईयों में काम हैं।

राज्य में गरीबी एवं निरक्षरता के कारण अकुशल श्रमिकों की भरमार है। स्वाभाविक है कि मांग से कई गुणा अधिक अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति के कारण मजदूरी की दर भी

बहुत कम है। जहाँ बिहार में 1993-94 के दौरान कृषि श्रमिकों की वार्षिक मजदूरी में 5.58 प्रतिशत का हॉस हुआ वहीं अखिल भारत में 5.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई। देश में पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, तामिलनाडू एवं पश्चिम बंगाल समेत अनेक राज्यों में कृषि श्रमिकों की मजदूरों का पलायन हो रहा है जिससे राज्य के कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

(ग) कृषि का परम्परागत स्वरूप एवं अशिक्षा या मन्दवृद्धि दर-रोजगार का निम्न स्तर एवं मजदूरी की निम्नतर का प्रमुख कारण राज्य में कृषि का स्वरूप परम्परागत है। कृषि के कुल घरेलू उत्पाद का 38 प्रतिशत भाग योगदान करता है, जबकि इस पर 80 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या आश्रित है। कृषि विकास दर पिछले दो दशकों में 1.8 प्रतिशत से 23 प्रतिशत के बीच रही है जबकि जनसंख्या वृद्धि उससे कहीं अधिक थी। राज्य के केवल 36 प्रतिशत जोग योग्य भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है और 8 प्रतिशत भूमि बाढ़ एवं 11 प्रतिशत भूमि सूखे के निरन्तर चपेट में रहती है। अर्थात् बाढ़ एवं सूखा बिहार राज्य में गरीबी का मुख्य कारण है। सिंचाई, परिवहन, भण्डारण एवं विपणन व्यवस्था की संरचनात्मक त्रुटियों के कारण राज्य के अधिकतर भू-भाग में एक या दो फसल ही हो पाते हैं और ये फसलें मुख्यतः खाद्यान की होती हैं। मूल्य संवर्धन की संभावनाओं से वंचित कृषि उत्पादन एवं स्व-उपभोग के लिये अधिक और बाजार के लिये कम होता है। प्रशोधन एवं कृषि आधारित उद्योगों के विकास के न होने से मूल्यतल में विशेषकर खाद्यानों के मूल्य वृद्धि एवं उनकी उपलब्धि में कमी के कारण खाद्यान उत्पादन में वृद्धि के बावजूद भी गरीब वर्ग द्वारा उसके उपभोग में हॉस हुआ है। खाद्यान उपभोग में गिरावट से कैलोरी उपभोग में गिरावट आई है जिससे गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है।

साथ ही अशिक्षित एवं अकुशल व्यक्तियों में अधिक आय सृजन करने की योग्यता नहीं रहती है। बिहार राज्य में इस श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या अधिक है, फलस्वरूप गरीबी का अनुपात स्वतः बढ़ जाता है।

(घ) राजकीय समर्थन के पहुँच व्यवस्था की त्रुटियाँ-जनवितरण प्रणाली भी नीची दरों में खाद्यान उपलब्ध कराने में असफल रही है। बिहार में गरीबी का स्वरूप अन्य विकसित

राज्यों की अपेक्षाकृत भिन्न है। यहाँ अधिकतर गरीब व्यक्ति अकुशल मजदूर है जो कृषि कार्य पर रोजगार के लिये आश्रित है। सरकार के द्वारा चलाए जा रहे रोजगारोन्मुखी योजनाएँ भ्रष्टाचार एवं नौकरशाही की उदासीनता के कारण प्रभावी रूप से लागू नहीं की जा सकी हैं। इससे साधनों की बर्बादी हुई है। सरकार के बजट पर अनावश्यक बोझ बढ़ा है। कालाधन की निरन्तर वृद्धि हुई, जिसका मुख्य श्रोत भी ये ही परियोजनाएँ हैं, जिनका अधिकतर पैसा अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के बजाए भ्रष्ट नौकरशाही की जेब में चला जाता है।

इन सब बातों के अतिरिक्त व्यापक ग्रामीण ऋणग्रस्ता, सीमान्त कृषकों की बदहाली, सामन्तवादी शक्तियों का एक जुट होना, सरकार द्वारा भूमि सुधार उपायों को कारगर ढंग से लागू नहीं करना एवं राज्य के साधनों का निरन्तर विदोहन आदि बिहार में व्यापक गरीबी के कारण है।

- (इ) जनसंख्या-बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर अत्यन्त ही तीव्र है जिससे प्रति व्यक्ति आय निम्न हो जाता है फलस्वरूप गरीबी का अनुपात बढ़ जाता है।
- (च) गाँवों में 'इन्फ्रस्ट्रक्चर' की कमी-ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक संरचना के साधन जैसे-सड़क, बिजली, सिंचाई के साधन आदि की कमी है। इससे भी स्जन बिहार के गाँवों में तेजी से हो पाना संभव नहीं है। गरीबी का अनुपात बढ़ना स्वाभाविक ही है। अर्थात् गाँव का पिछड़ापन ही कारण है ग्रामीण गरीबी में वृद्धि का।
- (छ) गरीबों के प्रति घृणा का उदासीनता नहीं-दरिद्रनारायण की धारणा आज भी बिहार में मौजूद है। गरीबी का प्रमाण पत्र जैसे 'लाल कार्ड' प्राप्त कर लेना बिहार में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है।

गरीब निवारण के प्रयास एवं रोजगार

देश में गरीबी निवारण के लिये एक बहुमुखी योजना की आवश्यकता है, जो आर्थिक विकास और स्व रोजगार सृजन के साथ-साथ आय एवं सम्पत्ति के न्यायपूर्ण वितरण को भी प्रोत्साहित करें। साधारणतः गरीबी निवारण के उपायों को दो वर्गों में रखा जा सकता है:-

- (क) वे उपाय, जो आय एवं सम्पत्ति के वितरण को प्रभावित करते हैं।

(ख) वे उपाय, जो सीधे गरीबी पर चोट करते हैं।

(क) आय एवं सम्पत्ति के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व -

1. ग्रामाण क्षेत्रों में भूमि के स्वामित्व संबंधी व्यवस्था में परिवर्तन लाना, जिसके अन्तर्गत सामन्ती व्यवस्था का समूल नाश आवश्यक है।
2. भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा निर्धारित करके उससे अधिक भूमि को अधिगृहीत कर भूमिहीनों या गरीबों में बांटना।
3. फसल बटाईदारी प्रथा के अन्तर्गत बटाईदारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
4. अर्थव्यवस्था में मुद्रस्फीति पर रोक लगाना, क्योंकि इसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव गरीबी पर ही पड़ता है।
5. अर्थव्यवस्था से काले धन को बाहर निकालने का प्रयास करना, ताकि सम्पत्ति का समपन्न वर्गों द्वारा विलासितापूर्ण क्षेत्रों में प्रयोग रोका जा सके।
6. सम्पन्न वर्ग पर उच्च कराधान द्वारा उनकी अतिरिक्त आय के अधिगृहीत करके उसे गरीब निवारण के कार्यक्रमों पर खर्च करना आदि।

(ख) गरीबी पर सीधे चोट करने हेतु गरीबों को सार्थक रूप से सहायता पहुँचाना आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किये जाने चाहिये।

1. गरीबों के लिये स्व रोजगार के विशेष कार्यक्रम चलाना।
2. निर्धनों या गरीबों को आसान शर्तों पर ऋण आदि उपलब्ध कराना, ताकि वे कोई उद्यम स्थापित कर सकें।
3. श्रम-प्रधान तकनीक को प्रोत्साहित करना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना।
5. गरीबों को शिक्षित करना और विशेष रूप से स्व, रोजगार प्रदान करने वाली तकनीक का प्रशिक्षण देना।
6. ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को गरीबों के लिए स्व रोजगार की उत्पत्ति से संबंधित करना आदि।

संदर्भ ग्रंथ

1. वर्मा, पी.सी. (2003), बिहार की अर्थव्यवस्था टी.यू.पी.सी. प्रकाशन, पटना, पृ.-98.
2. मेमोरिया, सी.बी. एवं एवं एस.सी. जैन (2002) भारत में आर्थिक नियोजन एवं विकास साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा, पृ. 43.
3. मेमोरिया सी.बी. एवं एस.सी. जैन (2002) पृ. 44.
4. वर्मा पी.सी. (2003), पृ. 98.
5. मेमोरिया सी.बी. एवं एस.सी. जैन (2002) पृ. 44